न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 64/19 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00299

1. श्री रामसिंह पिता करण सिंह राजपूत निवासी बोयणा तहसील मावली।

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब मावली, तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजपेरोकार मावली, प्रतिवादीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 17.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि गांव बोयणा का निवासी होकर प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि मौजा बोयणा तहसील मावली में हाल आराजी संख्या 1173 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 667 मी. किस्म आबादी स्थित हैं।
2. यह कि उपरोक्त साबिक आराजी संख्या 667 मी. किस्म आबादी रेकार्ड में दर्ज होकर भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा आवासीय उपयोग उपभोग में ली जाती रही है वर्तमान में उक्त आराजी पर प्रार्थी के पुराने आवासीय कच्चे केलुपोश मकान विगत 70 वर्षों पूर्व के मौके पर मौजूद हैं। यह कि उक्त आराजी संख्या 1173 वर्तमान में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन द्वारा आवासीय उपयोग में ली जा रही हैं।
3. यह कि उक्त आराजी संख्या 1173 जिसके साबिक आराजी संख्या 667 मी. आवासीय उपयोग में आबादी भूमि है को भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो द्वारा दौराने भू प्रबन्ध बिना किसी अधिकार के आबादी के स्थान पर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करवा दिया यह एक भारी भूल भू प्रबन्ध के समय भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा कारित की गई जबकि कानूनन भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को केवल साबिक अंकन को ही दौहराया जाना होता हैं। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को उक्त अंकन किए जाते समय किस्म या रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त साबिक आराजी संख्या 667 मी. के नये नम्बर बनाए जाते समय आबादी के स्थान पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

आराजी की किस्म बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी गई यह एक भारी भूल भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के कारित की गई जिसे दुरस्त फरमाया जाना आवश्यक हैं।

4. यह कि उक्त भूमि आराजी संख्या 1173 की किस्म परिवर्तन किए जाने से विपक्षीगण के कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि जो प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिस पर प्रार्थी अपने बाप दादाओ के समय से निवास करता चला आ रहा है व भूमि का रिहाईशी उपयोग कर रहा है को बेदखल किए जाने की कार्यवाही की जाने लगी जिसके लिए विपक्षीगण के अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर आए व प्रार्थी को उक्त भूमि बिलानाम काबिल काश्त होने से आवासीय उपयोग नहीं करने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि हमारी पैतृक रिहायशी भूमि है जिसको बिलानाम काबिल काश्त दर्ज किया जाना गलत है। इस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्रापत की तो उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को उक्त भूल को दुरस्त कराए जाने हेतु 2 माह का नोटिस अन्तर्गत धारा 80 दिवानी प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 12.06.19 को प्रदान किया जो विपक्षीगण को प्राप्त हुआ परन्तु उनके द्वारा उक्त नोटिस का न तो जवाब दिया न ही पालना की जिससे उक्त प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यहकि प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 08.06.2019 को स्थान बोयाणा तहसील मावली जिला उदयपुर में उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी द्वारा 2 माह का नोटिस उक्त दुरूस्ती कराए जाने हेतु विपक्षीगण को प्रदान किया जो दिनांक 18.06.2019 को विपक्षीगण को प्राप्त हुआ परन्तु उनके द्वारा उक्त नोटिस का न तो जवाब दिया न पालना की। यही प्रार्थना पत्र का कारण स्थान बोयणा में उत्पन्न हुआ जो आज दिनांक तक जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा बोयाणा की साबिक आराजी संख्या 667 मी. किस्म आबादी की हाल आराजी संख्या 1173 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त के सीान पर शुद्धि कराई जाकर बिलानाम आबादी दर्ज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार हाल आराजी नम्बर 1173 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर किस्म बंजड बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जबकि राजस्व नक्शें में 0.0486 हेक्टेयर भूमि सीमा चिन्ह आबादी दर्ज है शेष रकबा 1.08 बीघा या 0.2266 हेक्टेयर भूमि बिलानाम दर्ज हैं जो कि मौके पर पडत है। हाल आराजी नम्बर 1173 कुल रकबा 0.2752 हेक्टेयर में से 0.0486 हेक्टेयर भूमि जो कि नक्शें में आबादी चिन्ह से दर्शायी गई है। उक्त भूमि पर पुराना खण्डर व चुनाई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadiar
Date: 2025.03.07 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

पत्थर पडे है जो कि मौतबिरानो द्वारा रामसिंह पिता कर्णसिंह जाति राजपूत के बताये गये हैं। हाल आराजी नम्बर 1173 रकबा 0.2752 हेक्टेयर का साबिक आराजी नम्बर 667 रकबा 1.14 बीघा में से 0.06 बीघा आबादी व शेष रकबा 1.08 बीघा भूमि किस्म बंजड बिलानाम गैर काबिल काश्त साबिक रेकार्ड में दर्ज हैं। रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक नान्दवेल, मौका पर्चा संलग्न की गई।

8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर की बिलानाम आराजी नम्बर 1173 रकबा 0.2752 हेक्टेयर भूमि जिसकी किस्म बंजड अंकित हैं। उक्त भूमि की किस्म आबादी करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थी का कथन है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के आबादी के स्थान पर बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के भू प्रबन्ध से पूर्व आराजी नम्बर 667 होकर बिलानाम दर्ज थी तथा हाल रेकार्ड में भी वादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज हैं परन्तु उक्त भूमि की साबिक रेकार्ड में किस्म आबादी अंकित थी तथा वर्तमान रेकार्ड में किस्म बंजड अंकित हैं। उक्त भूमि बिलानाम होकर राज्य सरकार में निहित हैं। भू प्रबन्ध विभाग को मौके अनुसार किस्म परिवर्तन करने का अधिकार हैं। मौके पर तत्समय आबादी नहीं होने से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन की गई हैं। मौका पर्चा अनुसार वर्तमान में भी उक्त भूमि पर कुछ चुनाई के पत्थर पडे हैं जो प्रार्थी के होने बताये हैं। इससे स्पष्ट है कि मौके पर मकान निर्मित होकर आबादी नहीं बसी हुई हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रकरण में वर्णित भूमि की किस्म आबादी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं फिर भी प्रार्थी प्रकरण में वर्णित भूमि की किस्म आबादी करवाना चाहता है तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

:: <u>आदेश</u> ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर